स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
माह अक्टूबर, 2018 के लिए मासिक सारांश

******

मुख्य कार्यकलाप एवं उपलब्धियां:

- भारत में जनस्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों में श्रेष्ठ एवं अनुकरणीय परिपाटियों और नवाचार विषय पर 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 30 अक्टूबर, 2018 से 1 नवम्बर, 2018 तक काजीरंगा, असम में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे और स्वास्थ्य राज्य मंत्री, असम सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में किया गया जिसमें असम के माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।
- माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज और सतत् विकास लक्ष्यों के संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या विषय पर 25-26 अक्टूबर, 2018 को अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य अलमा-आटा की 1978 की घोषणा का स्मरणोत्सव आयोजित करना, यूएचसी आन्दोलन से प्रेरित होकर विकासशील जन केन्द्रित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या हेतु सभी सदस्य राज्यों और पणधारकों की राजनैतिक प्रतिबद्धता का नवीकरण करना और यूएचसी के संबंध में 2019 की संयुक्त राष्ट्र महा सभा की उच्च स्तरीय बैठक के लिए मंच तैयार करने के लिए सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के बारे में 2019-2030 के बीच दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निष्कर्ष दस्तावेज के तत्काल कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता को व्यक्त करना है।
- सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने तम्बाकू नियंत्रण के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन- फ्रेमवर्क सम्मेलन के लिए 1 से 6 अक्टूबर, 2018 तक जिनेवा, स्वीटजरलैंड में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 8) के 8वें सत्र में भाग लिया। सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) सीओपी ब्यूरो के अध्यक्ष हैं तथा उन्होंने सीओपी8 सत्र की अध्यक्षता की। शिष्टमंडल ने "तंबाकू नियंत्रण और वैश्विक जलवायु कार्रवाई" विषय पर उच्च स्तरीय सैगमेंट (एचएलएस) में भी हिस्सा लिया।
- माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा डा. इसातो टोरे, माननीय स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण मंत्री, जाम्बिया के बीच 1 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया।
- भारत और स्वीडन के बीच स्वास्थ्य सहयोग के बारे में 12 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में 10वें संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक आयोजित की गई।
- सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) और महामहिम सुश्री हरिंद्र सिद्धु, भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त के बीच नई दिल्ली में 26 अक्तूबर, 2018 को एक बैठक आयोजित की गई थी।
- स्वास्थ्य परिचर्या और आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और जापान के बीच दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 को समझौता ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और 4 जापानी एजेंसियों अर्थात् जापान खाद्य सुरक्षा आयोग; जापान उपभोक्ता कार्य एजेंसी; स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, जापान तथा कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय, जापान के बीच खाद्य सुरक्षा के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री के जापान दौरे के दौरान यह आदान-प्रदान किया गया।
- चिकित्सा संस्थान विनियम, 1998 में शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता में संशोधन करते हुए डीएम/एम.सीएय सहित एमडी/एमएच और डीएनबी (अति-विशेषज्ञता) के साथ डीएनबी (व्यापक विशेषज्ञता) की अर्हता की समतुल्यता का निर्धारण करने के लिए अनसूची-I में खंड 4क जोड़ा गया है।
- विविध कॉलेजों/संस्थानों में 3 स्नातकोत्तर (व्यापक विशेषज्ञता) पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।
- दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 3 के खंड (घ) के अंतर्गत चयनित 1 (एक) सदस्य के संबंध में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की सदस्यता संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।
- 16 अक्तूबर, 2018 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर लेह, पणजी, तिरुवनंतपुरम, पुद्दुचेरी, राँची और अगरतला में स्वस्थ भारत यात्रा शुरू की गई थी।
- अपर सचिव और महानिदेशक (नाको और आरएनटीसीपी) की अध्यक्षता में 30 अक्तूबर, 2018 को एचआईवी निगरानी और आकलन पर तकनीकी संसाधन समूह (टीआरजी) की बैठक आयोजित की गई थी।
- संयुक्त सचिव (प्रजनन बाल स्वास्थ्य) ने निष्क्रियकृत पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) के संबंध में गवी समर्थन के मामले को आगे बढ़ाने के लिए जेनेवा में आयोजित गवी कार्यक्रम एवं कार्यनीति समिति (पीपीसी) की बैठक में भाग लिया। गवी के बोर्ड में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को पीपीसी द्वारा स्वीकृति दी गई थी।
- मंत्रालय ने सीएस (एमए) नियम, 1944 के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपचार हेतु नारद अस्पातल, होशियारपुर, पंजाब तथा ईएमसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल प्रा. लिमिटेड, अमृतसर, पंजाब को मान्यता प्रदान की है।
- अक्तूबर, 2018 माह में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 4.51 लाख मोतियाबिंद सर्जरियां की गईं; स्कूली बच्चों को 97,340 नि:शुल्क चश्मे बांटे गए तथा 5,256 दान किए गए नेत्र एकत्रित किए गए थे।
- **आयुष्मान भारत**

  (i) प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), 33 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने और 27 राज्यों मे योजना प्रारंभ किए जाने के साथ ही लागू/विस्तारित सिस्तारित हो रही है। इसके साथ ही साथ ई-कार्ड सृजन के लिए 3 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) को प्रयोग में लाने हेतु सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। 14778 अस्पतालों (6650 सरकारी एवं 8128 निजी) को पैनल में शामिल किया गया है 3100 सीएससी को ई-कार्ड जारी करने हेतु सक्रिय किया गया है; और 3,39,613 कार्ड जारी किए गए हैं 225.2 करोड़ रुपये के शुल्क पर 1,44,924 रोगियों का उपचार किया गया है ;

और 204.00 करोड़ रुपये की राशि के 1,15,170 दावे प्रस्तुत किए गए हैं। कार्यक्रम में https#//mera.pmjay.gov.in पर 25,000 हिट प्रतिदिन के साथ 24.32 लाख से अधिक व्यक्तियों ने बहुत अच्छी रूचि दर्शायी है।

(ii) आयुष्मान भारत के एक भाग के रूप में समाज के आस-पास प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के विस्तारित पैकेज के प्रावधान हेतु 2022 तक 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) को चरणों में प्रचालनात्मक बनाया जाएगा। वर्तमान वर्ष के लिए 15000 एचडब्ल्यूसी के लक्ष्य की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 21000 से अधिक एचडब्ल्यूसी को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है और 31 अक्टूबर, 2018 तक सभी राज्यों में 3508 स्वाथ्य एवं आरोग्य केन्द्रों को प्रचालनात्मक बनाया गया है।

******